<u>लोकसभा</u>

तारांकित प्रश्न संख्या *3

18 नवंबर, 2019 को उत्तर के लिए

स्टील स्क्रैप नीति

***3. सुश्री प्रतिमा भौमिकः**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की देश में स्टील स्क्रैप नीति आरंभ करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे आरंभ किये जाने की संभावित तिथि क्या है;

(ख) इस नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और उक्त नीति में सम्मिलित की जाने वाली मदों का मद-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में किसी स्क्रैप केन्द्र का निर्धारण/स्थापना की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने स्क्रैप की बिक्री के संबंध में कोई प्रोत्साहन निर्धारित किया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) स्क्रैप केन्द्रों को संस्वीकृत किये जाने में शामिल अन्य मंत्रालयों का ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

“स्टील स्क्रैप नीति” के बारे में सुश्री प्रतिमा भौमिक, संसद सदस्य द्वारा लोक सभा में दिनांक 18 नवंबर, 2019 को उत्तर देने के लिए पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या *3 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): जी हाँ। स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को दिनांक 07 नवंबर 2019 को अधिसूचना सं. 354 के द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। यह नीति विभिन्न स्रोतों तथा विभिन्न उत्पादों से उत्पन्न होने वाले फैरस स्क्रैप के वैज्ञानिक प्रसंस्करण तथा पुनर्चक्रण के लिए भारत में धातु पुनर्चक्रण केन्द्रों की स्थापना संबंधी सुविधा प्रदान करने तथा बढ़ावा देने की एक रूपरेखा उपलब्ध कराती है। इस नीतिगत रूपरेखा में एक संगठित, सुरक्षित तथा पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल पद्धति से संग्रहण, विखंडन तथा श्रेडिंग क्रियाकलापों के लिए मानक दिशा-निर्देश उपलब्ध कराए गए हैं। इस नीति में विखंडन केन्द्रों तथा स्क्रैप प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना के लिए दिशा-निर्देश तथा इनके उत्तरदायित्व, एग्रीगेटरों की भूमिका तथा सरकार, विनिर्माता और मालिकों के दायित्व निर्धारित किए गए हैं।

(ग): स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति में सरकार द्वारा देश में स्क्रैप केन्द्रों की स्थापना की परिकल्पना नहीं की गई है। सरकार की भूमिका देश में मेटल स्क्रैपिंग केन्द्रों की सुविधा प्रदान करने तथा उनकी स्थापना को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने की है।

(घ): सरकार ने स्क्रैप की बिक्री के लिए कोई प्रोत्साहन निर्धारित नहीं किया है। इसका निर्धारण स्क्रैप की बिक्री के समय प्रचलित दिशा-निर्देशों तथा बाजार की परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा।

(ङ): स्क्रैप केन्द्रों को स्वीकृत किए जाने की प्रक्रिया में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जैसे अन्य मंत्रालय शामिल हैं।

****